

No.8-46/2021/L-II
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Language Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Date: 15th November, 2021

To

Shri Chamu Krishna Shastry,
Padma Shri Awardee,
Sanskrit Promotion Foundation,
Plot No.5, (first floor), Valluvar Kottam,
Neelagiri Therku Thottam,
Thanjavur 613004
Tamil Nadu

Subject: Constitution of High Powered Committee for the Promotion of Indian Languages - regarding

Sir,

In supersession of the letter dated 14.10.2021 issued by this Ministry, I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that a High Powered Committee has been constituted for the Promotion of Indian Languages under your Chairmanship. The mandate of this committee would be to explore and recommend pathways for the holistic and multi-disciplinary growth of Indian Languages as envisaged in the National Education Policy 2020. The committee will also advise the Ministry on all matters pertaining to revitalization of existing language teaching and research, and its extension in various institutions in the country.

The following would be the members of the High Powered Committee

Chairman

Padmashri Chamu Krishna Shastry - Chairman

Ex-officio members

- i) Joint Secretary (Languages), M/o Education
- ii) Director, CIIL, Mysuru
- iii) Vice Chancellor, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University,
New Delhi, Member Secretary

(Other members may be nominated by the Ministry on the recommendation of the Chairman of the Committee)

All members will work in honorary capacity in addition to their existing responsibilities



Terms of Reference:

- i. Study the existing institutional set up and suggest ways for improvement of study of Indian Languages under school and higher education in the country in context of the objectives outlined in NEP-2020
- ii. Recommend ways to revamp, consolidate and integrate the existing set up to ensure best utilization of existing language teaching facilities in educational institutions for development of Indian Languages
- iii. Ensure coverage of all categories of languages – Scheduled, Endangered, Non-Scheduled, Minor, Tribal, Classical Languages, etc
- iv. Make recommendations for language teaching-learning, language teachers education and growth, research, building language repositories, translation and interpretation, including its bearing on the furtherance of skilling and vocational education
- v. Recommend ways for making available technological tools and labs in various languages for benefit of students and researchers.
- vi. Promote availability and usage of various teaching learning materials in different languages for benefit of learners.
- vii. Recommend ways improve employability of language students as well as ways to improve employment opportunities by learning global languages as a skill
- viii. Recommend road-map and hand holding strategies on various measures in respect of Indian Languages in view of NEP-2020
- ix. Recommend strategies for promotion and sustenance of Language institutions and make them multi disciplinary
- x. To closely coordinate with various student centric initiatives of the Ministry like Innovation Cell, Indian Knowledge System etc, leading to Ek Bharat Shreshtha Bharat
- xi. Any other matter bearing direct impact on Indian Languages
- xii. Submit a Plan of Action with regard to the above.

The High Powered Committee may :

- i. Appoint sub committees/study groups to perform the task assigned to it
- ii. Organize seminars, workshops, conferences, webinars to highlight the need for the promotion of Indian Languages
- iii. Interact and coordinate with any institution of the Central/State Government dealing with teaching, research, extension/ promotion of languages which the Committee may feel relevant towards completion of the task

Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, (SLBSNSU) New Delhi would provide secretarial assistance and space to house the High Powered Committee and meet the expenditure on its meeting including TA/DA of the members as per the Government of India rules, regulations and instructions from time to time.

Appointment of consultants and experts/ scholars/officials/ Young Professionals for this committee may be done by SLBSNSU on short term basis as per requirement of the High Powered Committee and following rules/regulations. Seminars, workshops, webinars, etc would be conducted by SLBSNSU in accordance with rules/regulations, as per the recommendations of the High Powered Committee. Necessary finances towards the same would be provided by the MoE to the university under relevant budget heads.



The tasks entrusted as per above require sustained engagement with concerned stakeholders, the Committee may submit a road map and provide periodic reports on the same in time frame of two years in the first instance.

Yours faithfully,



(Suman Dixit)

Deputy Secretary to the Govt of India

Telel: 23070446

s.dixit23@nic.in

To

1. All Members
2. PS to Hon'ble EM/MOS(SS)/ MOS(RRS)/MOS(AD)
3. PS to Secretary (HE) and Secretary (SE)
4. Vice Chancellor, SLBSNSU, New Delhi. It is requested to provide accommodation for the office, hospitality, secretarial assistance, etc for the High Powered Committee

सं.8-46/2021/एल-॥

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
भाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 नवम्बर, 2021

सेवा में

श्री चामू कृष्ण शास्त्री,
पद्म श्री पुरस्कार विजेता,
संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन,
प्लॉट नंबर 5, (पहली मंजिल), वल्लुवर कोट्टम,
नीलगिरी थेरक् थोड्डम,
तंजावुर 613004
तमिलनाडु

विषय: भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के संबंध में

महोदय,

इस मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.10.2021 का अधिक्रमण में, मुझे उपरोक्त विषय का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपकी अध्यक्षता में भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अधिदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित भारतीय भाषाओं के समय और बहु-विषयक विकास हेतु मार्ग तलाशना और अनुशंसा करना होगा। समिति मौजूदा भाषा शिक्षण और अनुसंधान के पुनरुद्धार और देश में विभिन्न संस्थानों में इसके विस्तार से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय को सलाह देगी।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

अध्यक्ष

पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री – अध्यक्ष

पदेन सदस्य

- i) संयुक्त सचिव (भाषाएं), शिक्षा मंत्रालय
 - ii) निदेशक, सीआईआईएल, मैसूर
 - iii) कुलपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, सदस्य सचिव
- (अन्य सदस्यों को समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर मंत्रालय द्वारा नामित किया जा सकता है)
सभी सदस्य अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा मानद क्षमता से काम करेंगे

५/११/२१
दीर्घः

विचारार्थ विषय:

- i) एनईपी-2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के संदर्भ में देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के तहत भारतीय भाषाओं के अध्ययन में सुधार के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे का अध्ययन और सुझाव देना।
- ii) भारतीय भाषाओं के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा भाषा शिक्षण सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ढांचे को सुधारने, समेकित करने और एकीकृत करने के तरीकों की सिफारिश करना।
- iii) सभी श्रेणियों की भाषाओं - अनुसूचित, लुप्तप्राय, गैर-अनुसूचित, लघु, जनजातीय, शास्त्रीय भाषा, आदि का कवरेज सुनिश्चित करना।
- iv) भाषा शिक्षण-अधिगम, भाषा शिक्षक शिक्षा और विकास, अनुसंधान, भाषा भंडारों का निर्माण, अनुवाद और व्याख्या के लिए सिफारिशें करना, जिसमें कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।
- v) छात्रों और शोधकर्ताओं के लाभ के लिए विभिन्न भाषाओं में तकनीकी उपकरण और प्रयोगशाला उपलब्ध कराने के तरीकों की सिफारिश करना।
- vi) शिक्षार्थियों के लाभ के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देना।
- vii) एक कौशल के रूप में वैश्विक भाषाओं को सीखकर भाषा के छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में सुधार के तरीकों की सिफारिश करना।
- viii) एनईपी-2020 के मद्देनजर भारतीय भाषाओं के संबंध में विभिन्न उपायों से संबंधित रूपरेखा और मार्गदर्शन कार्यनीतियों की सिफारिश करना।
- ix) भाषा संस्थानों को बढ़ावा देने और उन्हें बनाए रखने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना और उन्हें बहु-विषयक बनाना।
- x) मंत्रालय की विभिन्न छात्र केंद्रित पहलों जैसे नवाचार प्रकोष्ठ, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि के साथ निकटता से समन्वय करना, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अग्रसर हो सके।
- xi) भारतीय भाषाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कोई अन्य मामला
- xii) उपर्युक्त के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करना।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

- i. इसे सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए उप समितियों / अध्ययन समूहों की नियुक्ति
- ii. भारतीय भाषाओं के प्रचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, वेबिनारों का आयोजन
- iii. भाषा के शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार/संवर्धन का कार्य कर रहे केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी संस्था के साथ बातचीत और समन्वय करना, जिसे समिति कार्य को पूरा करने के लिए प्रासंगिक मानती है।

सुभाष चंद्र

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, (एसएलबीएसएनएसयू) नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति के लिए सचिवीय सहायता और स्थान उपलब्ध कराएगा और सदस्यों के टीए/डीए सहित इसकी बैठक पर हुए व्यय का वहन करेगा।

इस समिति के लिए सलाहकारों और विशेषज्ञों/विद्वानों/अधिकारियों/युवा पेशेवरों की नियुक्ति एसएलबीएसएनएसयू द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आवश्यकता के अनुसार और निम्नलिखित नियमों/विनियमों का पालन करते हुए अल्पावधि आधार पर की जा सकती है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमों/विनियमों के अनुसार एसएलबीएसएनएसयू द्वारा सेमिनार, कार्यशालाएं, वेबिनार आदि आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक निधि, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित बजट शीर्षों के तहत विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त के अनुसार सौंपे गए कार्यों के लिए संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता होती है, समिति एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती है और पहली बार में दो वर्ष की समय सीमा में इससे संबंधित आवधिक रिपोर्ट उपलब्ध करा सकती है।

भवदीय,
सुमन दीक्षित
(सुमन दीक्षित)
उप सचिव, भारत सरकार
टेली न.: 23070446
s.dixit23@nic.in

प्रति

1. सभी सदस्य
2. माननीय शिक्षा मंत्री/शिक्षा राज्य मंत्री (एसएस/एमओएस(आरआरएस)/एमओएस(एडी) के निजी सचिव
3. सचिव (एचई) और सचिव (एसई) के निजी सचिव
4. कुलपति, एसएलबीएसएनएसयू, नई दिल्ली। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के लिए कार्यालय, आतिथ्य, सचिवीय सहायता आदि के लिए आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।